न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/द्वितीय अपर जिला जज काशीपुर
जिला–उधम सिंह नगर।
पीठासीन अधिकारीः ओम कुमार (एच.जे.एस.)

मोटर दुर्घटना दावा याचिका संख्या–62/2016
CNR No.-UKUS050001792016 (C.No.-15/2016)

1–श्रीमती गीता पत्नी स्व0 राकेश सिंह (27 वर्ष)
2–कु0 सोनम पुत्री नाबा0 पुत्री स्व0 राकेश सिंह (07 वर्ष)
3–कु0 शीतल नाबा0 पुत्री स्व0 राकेश सिंह (05 वर्ष)
4–मा0 अनमोल नाबा0 पुत्र स्व0 राकेश सिंह (04 वर्ष)
नाबालिगान द्वारा संरक्षिका एवं हकीकी माता श्रीमती गीता
5–श्रीमती मूगा देवी पत्नी स्व0 मूलचन्द्र (50 वर्ष)
निवासीगण–ग्राम सुल्तानपुर दोस्त तहसील ठाकुरद्वारा
जिला–मुरादाबाद। ––––––––––––––––––याचीगण

बनाम

1–मौ0 अजीम पुत्र श्री जाहिद हुसैन
निवासी– वार्ड न015 महेशपुरा, काशीपुर जिला उधम सिंह नगर।
(रजिस्टर्ड स्वामी मोटरसाईकिल सं0 यू.के.18–0827)
2–नसीर अहमद पुत्र श्री अब्दुल रशीद
निवासी–म0न0 83,
(चालक मोटरसाईकिल सं0 यू.के.18–0827)
3–नेशनल इश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड शाखा काशीपुर
द्वारा मण्डलीय प्रबन्धक नेशनल इंश्योरेन्स कं0 लि0
मण्डलीय कार्यालय हल्द्वानी, जिला नैनीताल
बीमा पॉलिसी सं0 461801/31/2015/6700002981
वैधता दिनांक 07.12.2015 से 06.12.2016 तक ––––––––––––––विपक्षीगण

अधिवक्ता याचीगण–अफ़सर अली खॉ
अधिवक्ता विपक्षी सं01 व 2–अब्दुल रशीद नश्तर
अधिवक्ता बीमा कं0 विपक्षी सं03–पराग नेगी

अधिनिर्णय

दिनांक 27.06.2019

याचीगण की ओर से यह मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिका विपक्षीगण के विरूद्ध मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा–166/140 के अन्तर्गत मोटर दुर्घटना में आयी चोटो के परिणाम स्वरूप राकेश सिंह की मृत्यु होने के कारण प्रतिकर की राशि 30,00,000/–रूपये प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

2. याचीगण का याचिका में मुख्यतः यह कथन है कि दिनांक 31.12.2015 को याची सं01 के पति राकेश सिंह ग्राम गोपीवाला से बाजार करके अपने घर पैदल आ रहे थे, जैसे ही वह ग्राम रघुनाथपुर (चमनपुर) बाजार के सामनक सड़क पार कर रहे थे, तभी समय करीब 7.00 बजे सांय ठाकुरद्वारा की ओर से मोटरसाईकिल सं0 यू.के.18–0827

का चालक तेजी व लापरवाही से चलाते हुए लाया और गलत साईड में लाकर राकेश सिंह के जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उन्हे गम्भीर चोटें आयीं और दौराने उपचार उनकी मृत्यु हो गयी। उक्त घटना की रिपोर्ट दिनांक 01.01.2016 को मृतक के भाई मुकेश द्वारा थाना ठाकुरद्वारा में दर्ज कराई गयी। याची सं01 के पति राकेश सिंह राजमिस्त्री का कार्य करते थे, जिससे वह रूपये 12,000/–प्रतिमाह आसानी से कमाते थे, जिसे वह स्वयं व याचीगण पर खर्च करते थे, याचीगण भी मृतक की आय पर निर्भर थे, किन्तु मृतक की मृत्यु से याचीगण की आय का साधन हमेशा के लिए समाप्त हो गया। मृतक राकेश कुमार 30 वर्षीय हृष्ट–पुष्ट व निरोगी नवयुवक थे, उनमें कोई बुरा व्यवसन नहीं था तथा वह कुशल राजमिस्त्री होने के कारण मेहनती थे, जिस कारण भविष्य में उनकी आय में वृद्धि होने की सम्भावना थी। किन्तु उनकी अकस्मात् मृत्यु से याचीगण उक्त आय से वंचित हो गये।

3. याची सं01 मृतक की पत्नी व ग्रहणी है और वह अल्प आयु में ही विधवा हो गई और अपने पति के सहचर्य से वंचित हो गयी तथा याची सं0 2 ता 4 मृतक की नाबालिग संताने है, जो अपने पिता के मृत्यु के कारण अच्छे लालन पोषण, अच्छी शिक्षा, देखभाल, प्यार तथा उचित मार्ग दर्शन से बंचित हो गये तथा याची सं05 मृतक की वृद्ध माता है जो अपने पुत्र की अकस्मात् मृत्यु से उसके प्यार से वंचित हो गयी और उसके बुढ़ापे का सहारा समाप्त हो गया। इस प्रकार राकेश सिंह की मृत्यु से याचीगण को आर्थिक, मानसिंक व शारीरिक क्षति हुई है, जिस हेतु रूपये 30,00,000/–क्षति पूर्ति, यानि निर्भता की हानि के अतिरिक्त, सहचर्य की हानि के रूप में रूपये 1,00,000/– तथा नाबालिग बच्चो को स्नेह व प्यार की हानि के रूप में रूपये एक–एक लाख प्रत्येक को तथा माता को स्नेह व व्यार की हानि के रूप में रूपये 50,000/ व अंतिम संस्कार आदि के रूप में रूपये 50,000/–विपक्षीगण से संयुक्त व पृथक–पृथक रूप से प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

4. विपक्षी सं01 व 2 जो कि मोटरसाईकिल सं0 यू.के.18–0827 का पंजीकृत स्वामी व चालक है की ओर से जवाबदावा कागज सं0 20ख प्रस्तुत कर, याचिका के अधिकांश कथनो को अस्वीकार करते हुए अतिरिक्त कथन में कहा गया है कि दिनांक 31.12.2015 को मोटरसाईकिल को विपक्षी सं02 नसीर अहमद चला रहा था, उसके पास वैध डी.एल. था तथा वाहन का बीमा नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी शाखा काशीपुर से था। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचीगण की याचिका इन विपक्षीगण के विरूद्ध खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. विपक्षी सं03 जो कि मोटरसाईकिल सं0 यू.के.18–0827 की बीमा कम्पनी है, की ओर से जवाबदावा कागज सं0 29ख प्रस्तुत कर, याचिका के अधिकांश तथ्यों का खण्डन करते हुए अतिरिक्त कथन में कहा है कि दुर्घटना में संलिप्त वाहन दुर्घटना की तिथि व समय पर बिना वैध आर.सी., व वाहन चालक के पास वैध डी.एल न होने और

बीमा पॉलिसी की शर्तो का उल्लंघन पाये जाने के कारण बीमा कम्पनी किसी भी प्रतिकर अदायगी के लिए उत्तरदायी नहीं है। यदि याचीगण व वाहन स्वामी के मध्य दुरभि सन्धि का आभास उत्तरदाता बीमा कम्पनी को होता है तो बीमा कम्पनी धारा 170 मोटर यान अधिनियम के तहत प्रतिवाद करने की अधिकारी होगी। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विपक्षी बीमा कम्पनी के विरूद्ध याचीगण की याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

6. उभयपक्ष के अभिवचनो के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गयेः—

1—क्या दिनांक 31.12.2015 को समय करीब 7.00 बजे सांय स्थान मुरादाबाद—ठाकुरद्वारा मार्ग पर ग्राम रघुनाथपुर (चमनपुरा) बाजार के सामने थाना क्षेत्र ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद में मोटरसाईकिल सं0 यू.के. 18—0827 के चालक ने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए याची सं01 के पति राकेश सिंह जो पैदल सड़क पार कर रहे थे, को टक्कर मारी, जिससे उन्हे चोटें आयीं और उनकी दौराने उपचार मृत्यु हो गयी?

2—क्या कथित दुर्घटना के समय मोटरसाईकिल सं0 यू.के.18—0827 समस्त वैध प्रलेखो तथा वैध ड्राइविंग लाईसेन्स के चलायमान था?

3—क्या याचीगण कोई प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी हैं, यदि हॉ तो कितना और किस विपक्षी से?

7. याचीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में सूचीपत्र 7ग के माध्यम से कागज सुं0 8ग/1—2 कम्प्यूटरीकृत चिक एफ.आई.आर, कागज सं0 9ग फोटो प्रति पंजीयन प्रमाण पत्र मोटर साईकिल सं0 यू.के.18—0827, काग सं0 10ग फोटो प्रति बीमा कवर नोट, कागज सं0 11ग फोटो प्रति डी.एल. नसीर अहमद, कागज सं0 12ग फोटो प्रति पहचान पत्र भारत निर्वाचन आयोग, सूचीपत्र 38ग/1 के माध्यम से कागज सं0 38ग/2—4 सत्यप्रति चिक एफ.आई.आर, कागज सं0 38ग/5—11 सत्यप्रति पोस्टमार्टम आख्या मृतक राकेश सिंह, कागज सं0 38ग/12—15 सत्यप्रति आरोप—पत्र, कागज सं0 38ग/16—17 नक्शा नजरी पेश किये गये तथा मौखिक साक्ष्य में गवाह पी0डब्लू—1 श्रीमती गीता व पी0डब्लू—2 इरफान को परीक्षित कराया है और अपना साक्ष्य समाप्त किया है।

8. विपक्षी सं01 व 2 की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में सूची 21ग से कागज सं0 22ग/1 नोटरी प्रमाणित प्रति पंजीयन प्रमाण पत्र मोटरसाईकिल सं0 यू.के.18—0827, कागज सं0 22ग/2 नोटरी प्रमाणित प्रति बीमा कवर नोट, कागज सं0 22ग/3 नोटरी प्रमाणित प्रति डी.एल. मोटरसाईकिल चालक नसीर अहमद पेश किये गये है, कोई मौखिक साक्षी परीक्षित नहीं कराया है।

9. विपक्षी सं03 बीमा कम्पनी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

10. मैने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना व पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

निष्कर्ष

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–1

11. यह वाद बिन्दु याचीगण के अभिवचनों पर आधारित है, इस बिन्दु को सिद्ध कराने का भार याचीगण का है। याचीगण का तर्क है कि दिनांक 31.12.2015 को समय करीब 7.00 बजे सांय स्थान मुरादाबाद–ठाकुरद्वारा मार्ग पर ग्राम रघुनाथपुर (चमनपुरा) बाजार के सामने थाना क्षेत्र ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद में मोटरसाईकिल सं0 यू.के.18–0827 के चालक ने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए याची सं01 के पति राकेश सिंह जो पैदल सड़क पार कर रहे थे, को टक्कर मारी, जिससे उन्हे चोटें आयीं और उनकी दौराने उपचार मृत्यु हो गयी।

12. याचीगण की ओर से इन तर्कों को सिद्ध करने के लिए दुर्घघटना के चक्षुदर्शी साक्षी गवाह पी0डब्लू–2 इरफान को परीक्षित कराया गया है, जिसने इस तथ्य का साक्ष्य दिया है कि दिनांक 31.12.2015 को जब वह जटपुरा की ओर आ रहा था, और सलेमपुर की ओर जा रहा था, तब इसकी मोटर साईकिल दुर्घटना करने वाली मोटर साईकिल के सामने से आ रही थी। दुर्घटना करने वाली मोटर साईकिल मौके पर गिर गयी थी और इसने उसका नम्बर नोट कर लिया था और किसी के द्वारा चुटैल को ठाकुरद्वारा अस्पताल भिजवाया था। इस गवाह ने घटना के बारे में उसके परिजनों को अगले दिन शाम को बताना कहा है।

13. याचीगण की ओर से सूची 38ख से कागज सं0 38ग/2 लगायत 38ख/4 मुकदमा अपराध सं0 1/2016 धारा 279, 304ए भा0द0स0 थाना ठाकुरद्वारा मुरादाबाद की प्राथमिकी, कागज सं0 38ख/12 लगायत 38ख/15 उसी मामले में दाखिल आरोप पत्र तथा कागज सं0 38ख/16 लगायत 38ख/17 नक्शा नजरी घटना स्थल प्रस्तुत किया है। इससे भी यह सिद्ध है कि दिनांक 31.12.2015 को हुई कथित दुघ र्टना में याची सं01 के पति राकेश की मृत्यु हुई थी। पत्रावली पर दाखिल पोस्टमार्टम रिपोर्ट कागज सं0 38ख/5 लगायत 38ख/11 से भी यही कथन सिद्ध होते हैं।

14. विपक्षी सं03 बीमा कम्पनी की ओर से इस संबंध में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दुर्घटना की रिपोर्ट अत्यंत विलम्ब से अगले दिन लिखवाई गयी है। कोई दुर्घटना नहीं हुई, क्लेम लेने के लिए याचिका दायर की गयी है। बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत इस तर्क से दुर्घटना के कथनों का खण्डन नहीं होता है क्योंकि **2019(2) एस सी सी डी 982 (सुप्रीम कोर्ट) सुनीता व अन्य बनाम राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम एवं एक अन्य** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया है कि यदि प्रतिउत्तरादातागण ने किसी प्राधिकारी के समक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा आरोप पत्र की औचित्यता को चुनौती नहीं दी, तब प्रथम सूचना रिपोर्ट के अभिकथन सशक्त

माने जायेंगे। विपक्षी सं02 द्वारा घटना का कोई खण्डन नहीं किया है, बल्कि इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मोटर साईकिल को बचाते समय अचानक दुर्घटना कारित हो गयी और दुर्घटना उसकी गलती से नहीं हुई थी। याची सं01 गवाह पी0डब्लू–1 श्रीमती गीता द्वारा भी अपने साक्ष्य में याचिका में उल्लेखित कथनों को साबित किया है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह साबित है कि दिनांक 31.12.2015 को समय करीब 7.00 बजे सांय स्थान मुरादाबाद–ठाकुरद्वारा मार्ग पर ग्राम रघुनाथपुर (चमनपुरा) बाजार के सामने थाना क्षेत्र ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद में मोटरसाईकिल सं0 यू.के.18–0827 के चालक ने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए याची सं01 के पति राकेश सिंह जो पैदल सड़क पार कर रहे थे, को टक्कर मारी, जिससे उन्हे चोटें आयीं और उनकी दौराने उपचार मृत्यु हो गयी। तदनुसार वाद बिन्दु सं01 याचीगण के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु सं0–2</u>

15. इस वाद बिन्दु में यह तय किया जाना है कि क्या कथित दुर्घटना के समय मोटरसाईकिल सं0 यू.के.18–0827 समस्त वैध प्रलेखो तथा वैध ड्राइविंग लाईसेन्स के चलायमान था?

16. इस मामले में मोटरसाईकिल चालक व स्वामी विपक्षी सं01 व 2 के रूप में पक्ष है, विपक्षी सं0 1 व 2 की ओर से कागज सं0 22ग/1 नोटरी प्रमाणित प्रति पंजीयन प्रमाण पत्र मोटरसाईकिल सं0 यू.के.18–0827, कागज सं0 22ग/2 नोटरी प्रमाणित प्रति बीमा कवर नोट, कागज सं0 22ग/3 नोटरी प्रमाणित प्रति डी.एल. मोटरसाईकिल चालक नसीर अहमद पेश किये गये, जो कथित दुर्घटना की तिथि 31.12.2015 को वैध एवं प्रभावी थे। इन प्रपत्रों को कोई खण्डन बीमा कम्पनी की ओर से नहीं किया गया, इसलिए इन दस्तावेजों के खण्डन के अभाव में यह माना जायेगा कि कथित दुर्घटना की तिथि को कथित मोटर साईकिल के कागजात वैध एवं प्रभावी थे। अतः यह सिद्ध होता है कि कथित दुर्घटना के समय मोटर साईकिल सं0 यू.के.–18–0827 समस्त वैध प्रलेखों तथा वैध डी0एल0 के चलायमान थी। तदनुसार वाद बिन्दु सं02 निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु सं0–3</u>

17. इस वाद बिन्दु के माध्यम से यह तय किया जाना है कि क्या याचीगण कोई प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी हैं, यदि हॉ तो कितना और किस विपक्षी से?

18. उल्लेखनीय है कि वाद बिन्दु सं01 व 2 में यह निष्कर्ष निकाला जा चुका है कि उक्त दुर्घटना मोटरसाईकिल सं0 यू.के.18–0827 से घटित हुई और दुर्घटना की तिथि पर उक्त मोटरसाईकिल विपक्षी सं03 बीमा कम्पनी से बीमित थी। दुर्घटना की तिथि पर वाहन के समस्त कागजात भी वैध एवं प्रभावी थे। याचीगण द्वारा यह कहा गया है कि याची सं01 मृतक की पत्नी तथा याची सं0 2 ता 4 मृतक की नाबालिग सन्ताने तथा याची सं05 मृतक की वृद्ध माता है। इस तथ्य का कोई खण्डन विपक्षीगण द्वारा नहीं

किया गया। इस प्रकार याचीगण विपक्षी सं03 बीमा कम्पने से प्रतिकर की धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

19. याचीगण द्वारा मृतक राकेश सिंह की आयु के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं0 38ग/6 सत्यप्रति पोस्टमार्टम मृतक राकेश कुमार में, मृतक की आयु 26 वर्ष अंकित की गयी है, जबकि याचीगण द्वारा याचिका में मृतक की आयु 30 वर्ष अंकित की गयी है। अतः प्रतिकर निर्धारण हेतु मृतक की आयु 30 वर्ष निर्धारित की जाती है।

20. याचिका में मृतक को राजमिस्त्री का कार्य करके रूपये 12,000/—प्रतिमाह आय करने का कथन किया है, परन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि मृतक राजमिस्त्री था, जिस कारण उसकी आय 12,000/— रूपये प्रतिमाह साबित नहीं है। अतः मृतक की काल्पनिक आय रूपये 150/—प्रतिदिन के हिसाब से प्रतिकर निर्धारण हेतु 4500/—प्रतिमाह आंकी जाती है एवं वार्षिक आय रूपये 54,000/—वार्षिक निर्धारित की जाती है।

21. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यदि मृतक जीवित रहता तो वह 30 वर्ष का नवयुवक होने के कारण अवश्य ही उसकी आय में वृद्धि होती। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **2017(4) ACCD 2106 (AC) (SC) नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य** के वाद में अवधारित किया है कि Motor Accident Claim- Scope of "Future prospect" - Held- In a motor accident claim, if deceased was self employed or a fixed salary then future prospect cannot be denied-But ratio should be 40% if deceased was below 40 years and 25 % if deceased was 40-50 yeare and 10 % it age between 50-60 or above. इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार याचीगण 40 प्रतिशत भविष्यवर्ती पूर्वेक्षण का लाभ भी प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

22. अतः याचीगण को माननीय उच्चतम न्यायालय की नजीर **सरला वर्मा व अन्य बनाम दिल्ली ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन व अन्य 2009 (2) ए.सी.सी.डी. 924 (एस.सी.)** व **नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी, 2017 (4) एस सी सी डी 2108 (एस0सी0)** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार निम्न प्रकार प्रतिकर दिलाया जाना उचित होगा।

1—वार्षिक आय =रू0 54,000/—

2—व्यक्तिगत रहन सहन खर्च की कटौती 1/4 of 54,000 =रू0 13,500/—
(मृतक पर आश्रित 05 व्यक्ति)

3—प्रतिकर निर्धारण हेतु वार्षिक आय 54,000— 13,500 =रू0 40,500/—

4–मल्टीप्लायर (आयु 30 वर्ष मानते हुए) –17

5–कुल रकम 40,500 X17 =रू0 6,88,500/–

6–मृतक की आयु 40 वर्ष से कम होने के कारण

Future prospect 40प्रतिशत 6,88,500X40% =रू0 2,75,400/–

(मा0 सुप्रीम कोर्ट की विधि व्यवस्था नेशनल इंश्योरेंश क0लि0 व अन्य बनाम प्रणय सेठी में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार)

7–परिसम्पत्ति की हानि (loss of estate) =रू0 15,000/–

(मा0 सुप्रीम कोर्ट की विधि व्यवस्था नेशनल इंश्योरेंश क0लि0 व अन्य बनाम प्रणय सेठी में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार)

8–सहचर्य की हानि (loss of consortium) =रू0 40,000/–

(मा0 सुप्रीम कोर्ट की विधि व्यवस्था नेशनल इंश्योरेंश क0लि0 व अन्य बनाम प्रणय सेठी में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार)

9–अंतिम संस्कार पर खर्च (loss of funeral expenses) = रू0 15,000/

(मा0 सुप्रीम कोर्ट की विधि व्यवस्था नेशनल इंश्योरेंश क0लि0 व अन्य बनाम प्रणय सेठी में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार)

10– कुल प्रतिकर राशि

6,88,500+2,75,400+15,000+40,000+15,000 =रू0 10,33,900/–

23. इस प्रकार याचीगण कुल रूपये 10,33,900/–(दस लाख तैंतीस हजार नौ सौ रूपये) प्राप्त करने के अधिकारी हैं। चूंकि उपरोक्त प्रश्नगत वाहन विपक्षी सं03 बीमा कम्पनी से बीमित था, इसलिए इस धनराशि को अदा करने का दायित्व विपक्षी सं01 व 2 की ओर से विपक्षी सं03 बीमा कम्पनी का बनता है। याचीगण की ओर से याचिका के निस्तारण में स्वयं देरी कारित की गयी है, इसलिए याचीगण को प्रतिकर की धनराशि पर दिलाये जाने वाले ब्याज की गणना इस अधिनिर्णय की तिथि से की जायेगी। अतः याचीगण की याचिका उपरोक्तानुसार अधिनिर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याचीगण की याचिका विपक्षी सं03 दि नेशनल इश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के विरूद्ध आंशिक रूप से रूपये 10,33,900/–(दस लाख तैंतीस हजार नौ सौ रूपये) के प्रतिकर हेतु स्वीकार की जाती है। विपक्षी सं03 को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को निम्न प्रकार प्रतिकर अदा करे–

क– याची सं02 कु0 सोनम, याची सं03 कु0 शीतल, याची सं04 मा0 अनमोल नाबालिग है, इसलिए इनकी भविष्य की शिक्षा–दीक्षा व भविष्यवर्ती खर्चों को दृष्टिगत रखते हुए इन्हें रूपये 2,00,000–2,00,000/– देय होंगे, जो उनके बालिग होने तक किसी राष्ट्रीय कृत बैंक की सावधि योजना में जमा किये जायें। इस धनराशि को याचीगण के बालिग होने से पूर्व अथवा अधिकरण की अनुमति के बिना आहरित नहीं किया जा सकेगा।

ख– याची सं05 श्रीमती मूगा देवी को रूपये 1,00,000/– तुरन्त देय होंगे।

ग– याची सं01 श्रीमती गीता को रूपये 3,33,900/– देय होंगे। याचीगण कुल प्रतिकर राशि पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। ब्याज की संगणना इस अधिनिर्णय की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक की जायेगी। उक्त प्रतिकर की धनराशि विपक्षी सं03 बीमा कम्पनी याचीगण को इस अधिनिर्णय की तिथि से 30 दिन के अन्दर अदा करें। पक्षकारान अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। तद्नुसार अधिनिर्णय तैयार किया जाये।

दिनांक 27.06.2019

(ओम कुमार)
एम0ए0सी0टी0/द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
काशीपुर जिला उधम सिंह नगर।

आज यह अधिनिर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायाधिकरण में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक 27.06.2019

(ओम कुमार)
एम0ए0सी0टी0/द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
काशीपुर जिला उधम सिंह नगर।